



2026:AHC:63808

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6557 वर्ष 2026

रामजी दुबे @ पंडित

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : देवेंद्र कुमार मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री एन.के. शर्मा, राज्य के लिए ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 381 वर्ष 2025 में धारा 123, 105, 303(2), 317(4) बीएनएस, पुलिस स्टेशन कल्याणपुर, जिला-कानपुर नगर के तहत जमानत पर आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। यह घटना कथित तौर पर 4.9.2025 को हुई थी। सूचनाकर्ता के भाई की मृत्यु की सूचना 5.9.2025 को संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजी गई थी। पोस्टमॉर्टम 5.9.2025 को किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट बाद में 11.9.2025 को धारा 309(4), 103(1) बीएनएस के तहत दर्ज की गई थी। कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। विसरा को संरक्षित किया गया और रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया। विसरा रिपोर्ट केस डायरी का हिस्सा नहीं है। जांच के दौरान धारा 309(4) और 103(1) बीएनएस को हटा दिया गया और धारा 123, 105, 302(2), 317(4) बीएनएस को जोड़ा गया। एक सूचनाकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया। आवेदक की ओर से रेडमी नोट-13 मोबाइल फोन की झूठी बरामदगी दिखाई गई है। उक्त मोबाइल फोन को कथित अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता है। सी.सी.टी.वी. फुटेज के आधार पर आवेदक की पहचान नहीं की गई है। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं है। जमानत आवेदन के पैरा छह में आवेदक के आपराधिक इतिहास को समझाया गया है। आवेदक 13.9.2025 से जेल में है। यदि उसे जमानत पर बढ़ाया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. राज्य के विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन रिकॉर्ड से उपरोक्त प्रस्तुतियों पर संतोषजनक ढंग से विवाद नहीं कर सके।

5. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देर से दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था। कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। एक सूचनाकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कारणों का पता नहीं चल सका है। विसरा को संरक्षित किया गया और रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया। विसरा रिपोर्ट केस डायरी का हिस्सा नहीं है। सी.सी.टी.वी. फुटेज के आधार पर आवेदक की पहचान नहीं की गई है। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं है। इसके अलावा, आवेदक वर्तमान में छह महीने से अधिक समय तक कैद में है और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि जमानत पर बढ़ाया जाता है, तो मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना या तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाह को डराएगा, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।

6. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक, **रामजी दुबे @ पंडित** को निम्नलिखित शर्तों पर संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा;
- iii. आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मार्च 26, 2026

एस.एस.

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"